भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2366
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना

2366. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री संजय जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय- सीमा और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एबीआरवाई के बारे में जागरूकता की कमी है और वे इसमें शामिल जटिलताओं के कारण इसके लाभों से वंचित हैं और यदि हां, तो इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पात्रता शर्तों को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एबीआरवाई में संशोधन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है; और

(च) उक्त योजना के तहत पंजीकृत नए कर्मचारियों की संख्या और विवरण और कार्यान्वयन का राज्य-वार विशेष रूप से महाराष्ट्र का जिला-वार विवरण क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभान्वित करना था और इस योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कुल पंजीकरण 75.11 लाख है।

एबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान/नए कर्मचारी जो पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहे थे, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया। दिनांक 11.12.2023 तक, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,050.26 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इसके साथ-साथ, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले नियोक्ताओं को ईपीएफओ के नियोक्ता पोर्टल पर संदेशों के माध्यम से सूचित किया गया था।
II. ईपीएफओ के क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियोक्ताओं/नियोक्ता संघों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए।
III. सोशल मीडिया आउटरीच के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।
IV. उन प्रतिष्ठानों को शिक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रयास किये गए जिन्होंने पहले आवश्यक मानदंडों को पूरा किया है, लेकिन वे एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं।
V. एबीआरवाई के तहत नियोक्ताओं को एसएमएस द्वारा पंजीकरण की अंतिम तिथि बताना और उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित करना।
VI. वेबसाइट पर सृजनात्मकता के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।

इस योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में है और महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का जिला-वार विवरण **अनुबंध- II** में है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार विवरण

राज्य	**पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	565
आंध्र प्रदेश	2,03,178
अरुणाचल प्रदेश	558
असम	28,141
बिहार	42,781
चंडीगढ़	79,609
छत्तीसगढ़	1,04,467
दिल्ली	3,04,592
गोवा	28,421
गुजरात	8,11,380
हरियाणा	5,43,607
हिमाचल प्रदेश	1,00,374
जम्मू और कश्मीर	22,369
झारखंड	77,578
कर्नाटक	6,13,442
केरल	1,08,898
लद्दाख	255
मध्य प्रदेश	2,52,004
महाराष्ट्र	12,25,654
मणिपुर	2,335
मेघालय	1,567
मिजोरम	402
नागालैंड	299
ओडिशा	1,10,417
पंजाब	1,98,046
राजस्थान	3,92,512
सिक्किम	4,824
तमिलनाडु	10,11,565
तेलंगाना	3,70,143
त्रिपुरा	5,580
उत्तर प्रदेश	5,25,258
उत्तराखंड	1,30,469
पश्चिम बंगाल	2,88,355
अखिल भारत	**75,89,645**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का जिला-वार विवरण

राज्य	जिला	पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या
महाराष्ट्र	यवतमाल	2302
महाराष्ट्र	वाशिम	514
महाराष्ट्र	वर्धा	2930
महाराष्ट्र	ठाणे	236699
महाराष्ट्र	सोलापुर	17333
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	986
महाराष्ट्र	सतारा	14948
महाराष्ट्र	सांगली	6283
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	3360
महाराष्ट्र	राजगढ़	102
महाराष्ट्र	रायगढ़	26190
महाराष्ट्र	पुणे	326609
महाराष्ट्र	परभनी	891
महाराष्ट्र	पालघर	17265
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	1023
महाराष्ट्र	नासिक	54007
महाराष्ट्र	नंदुरबार	166
महाराष्ट्र	नांदेड़	1959
महाराष्ट्र	नागपुर	45164
महाराष्ट्र	मुंबई शहर	156426
महाराष्ट्र	मुंबई (उपनगरीय)	173443
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	2
महाराष्ट्र	लातूर	2967
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	35469
महाराष्ट्र	जलना	5344
महाराष्ट्र	जलगांव	5304
महाराष्ट्र	हिंगोली	411
महाराष्ट्र	गोंदिया	1197
महाराष्ट्र	गडचिरोली	172
महाराष्ट्र	धुले	1921
महाराष्ट्र	चेन्नई	8
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	4776
महाराष्ट्र	बुलढाणा	1231
महाराष्ट्र	बोड	1642
महाराष्ट्र	भंडारा	904
महाराष्ट्र	बेंगलुरु शहरी	11
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	57287
महाराष्ट्र	अमरावती	5246
महाराष्ट्र	अकोला	1273
महाराष्ट्र	अहमदनगर	11889

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई